# न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, पीलीभीत।

उपस्थित– शिखा प्रधान, एच० जे० एस०

विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या– 1443/2025

उ0प्र0 राज्य

.....**अभियोजन पक्ष।**

**बनाम**

नन्हीं देवी पत्नी शिवसरन निवासी ग्राम कर्मापुर माफी थाना बीसलपुर, जिला पीलीभीत।

.....**अभियुक्ता।**

मु०अ०सं०–700/2023
अंतर्गत धारा–138 (1) बी विद्युत अधिनियम
पुलिस थाना–एन्टी पॉवर थेफ्ट,
जनपद– पीलीभीत।

**निर्णय**

1. प्रस्तुत विशेष सत्र परीक्षणीय वाद में अभियुक्ता नन्हीं देवी पत्नी शिवसरन निवासी ग्राम कर्मापुर माफी थाना बीसलपुर, जिला पीलीभीत के विरूद्ध पुलिस थाना एन्टी पॉवर थेफ्ट, पीलीभीत द्वारा आरोप पत्र अंतर्गत धारा 138(1) बी विद्युत अधिनियम में न्यायालय में प्रेषित किए जाने पर न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि–दिनॉक 22.03.2023 को समय लगभग 11.00 बजे से 14.00 बजे तक स्थान बहद ग्राम कर्मापुर माफी (थाना बीसलपुर, पीलीभीत) पुलिस थाना एन्टी पॉवर थेफ्ट, जिला पीलीभीत में वादी मुकदमा अवतार सिंह, अवर अभियन्ता, 33/11 के० वी०, बीसलपुर ग्रामीण, पीलीभीत द्वारा हमराही कर्मचारीगण के साथ चैकिंग की गयी तो चैकिंग के दौरान अभियुक्ता पूर्व में विद्युत बिल बकाया धनराशि पर विच्छेदित किये गये घरेलू विद्युत संयोजन सं0–731908980012 को बिना बकाया बिल जमा किये विद्युत को अनाधिकृत तरीके से जोड़कर चलाते हुये पायी गयी।

3. इस प्रकरण की विवेचना विवेचक द्वारा प्रारम्भ की गयी तथा विवेचक द्वारा घटनास्थल पर जाकर वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा मामले से सम्बंधित साक्षियों के ब्यान अंकित किये गये तथा मामले की सम्पूर्ण विवेचना के उपरांत अभियुक्ता उपरोक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र अंतर्गत धारा–138 (1) बी विद्युत अधिनियम में न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. अभियुक्ता को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतिलिपियां प्रदान की गयी तथा अभियुक्ता के विरूद्ध पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 21.04.2026 को धारा–138 (1) बी विद्युत अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया जिससे अभियुक्ता ने इंकार किया तथा विचारण चाहा।

5. अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में अभियोजन साक्षी सं० 1 मनोज कुमार, अवर अभियंता को परीक्षित कराया गया।

6. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू0–1 मनोज कुमार, अवर अभियंता ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि– "मैं विद्युत उपकेन्द्र–पीलीभीत में नियुक्त था उसी समय मुझे पूरे जनपद का विजिलेन्स का कार्य दिया गया था जिसमें बीसलपुर प्रखण्ड भी सम्मिलित था। बीसलपुर प्रखण्ड मे कार्यरत अवर अभियन्ता अवतार सिंह को मैने लिखते–पढ़ते व हस्ताक्षर करते देखा थां मैं उन्हें व उनके हस्तलेख को पहचानता हूं। दिनांक: 22–03–2023 को अवर अभियन्ता अवतार सिंह द्वारा अपनी टीम के साथ विद्युत चोरी रोकथाम एवं विद्युत शेष हेतु ग्राम–करमापुर माफी में नन्ही देवी पत्नी–शिवरतनका विच्छेदित संयोजन चैक किया जो संयोजन जोड़कर विद्युत उपभोग करते पाया गया। जिसके सम्बन्ध में अवर अभियन्ता अवतार सिंह ने चैकिंग रिपोर्ट तैयार कर थाने में अभियोग पंजीकृत कराया था। तहरीर पत्रावली पर संलग्न है। प्रपत्र संख्याः क–4/3 साक्षी ने कहा कि तहरीर अवर अभियन्ता अवतार सिंह के हस्स्तलेख व हस्ताक्षरित है जिसकी मैं पुष्टि करता हूं एवं चैकिंग रिपोर्ट प्रपत्र संख्याः ख–9/2 पत्रावली पर संलग्न है जो अवर अभियन्ता अवतार सिंह के हस्तलेख में है एवं उनके द्वारा हस्ताक्षरित है। तहरीर पर प्रदर्याः क 1 अंकित किया गया। चैकिंग रिपोर्ट पर प्रदर्शः क–2 अंकित किया गया।" बचाव पक्ष से जिरह के दौरान उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि– "अधिशाषी अभियन्ता–बीसलपुर द्वारा निर्गत अदेययता प्रमाण–पत्र प्रपत्र संख्या–577 दिनांक: 29–04–2026 की प्रति एवं रसीद संख्या–267858128627 दिनांक: 29–04–2026 राशि–2000/– रुपए की प्राप्ति है एवं दिनांक: 29–04–2026 रसीद संख्या–39351431617 राशि–1103/– रुपए की प्राप्ति प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार पत्रावली सम्बन्धित समस्त धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।"

7. तदोपरांत अभियुक्ता नन्हीं देवी द्वारा अपराध संस्वीकृति हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. अभियुक्ता का बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्ता ने अभियोजन कथानक को स्वीकार किया तथा कथन किया कि वह अत्याधिक गरीब है और उसकी आर्थिक स्थिति खराब है। उसके परिवार में उसके अलावा कमाने वाला और कोई नहीं है। उसके द्वारा विद्युत विभाग के समस्त बकाये का भुगतान करने के संबंध में दिनांक 29.04.2026 का अधिशासी अभियंता बीसलपुर का पत्रांक नो ड्यूज प्रमाण पत्र संख्या–577 व रसीदें दाखिल किये गये हैं, जिसमें अधिशासी अभियंता के पत्रांक के संशोधित बिल रूपये 727/–, कराधान 1103/– रूपये व शमन शुल्क 2000/– रूपये जमा किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस तथ्य के दृष्टिगत उसके प्रति उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाये।

9. अभियोजन साक्षी सं0–1 मनोज कुमार, अवर अभियंता द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है तथा अभियुक्ता द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में अभियोजन कथानक को स्वीकार करते हुये अपने द्वारा कथित अपराध किया जाना बताया गया है। अभियुक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। अतः उसके साथ उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर उसके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये उसे कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित किया जाये।

10. अभियोजन साक्ष्य एवं अभियुक्ता के धारा 313 दं.प्र.सं. से जुर्म स्वीकारोक्ति संबंधी कथन से अभियुक्ता के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे आरोपित आरोप धारा–138(1)बी विद्युत अधिनियम साबित होता है। अतः अभियुक्ता आरोपित आरोप अंतर्गत धारा–138(1)बी विद्युत अधिनियम में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। तद्नुसार अभियुक्ता उपरोक्त को आरोपित आरोप अंतर्गत धारा–138(1)बी विद्युत अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्ता जमानत पर है, उनके बंधपत्र एवं प्रतिभू पत्र निरस्त करते हुए प्रतिभूओं को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्ता न्यायिक अभिरक्षा में है। दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने हेतु पत्रावली लन्च बाद पेश हो।

दिनाकः 30.06.2026

(शिखा प्रधान)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4,
पीलीभीत।

11. पत्रावली लन्च बाद पेश हुई। दोषसिद्ध को दण्ड के बिन्दु पर सुना गया। उसके द्वारा कथन किया गया है कि वह गरीब है। उसके परिवार में उसके अलावा कमाने वाला और कोई व्यक्ति नहीं है। उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। उसके द्वारा विद्युत विभाग के समस्त देयों का भुगतान वर्तमान में कर दिया गया है। उसके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उसको कम से कम सजा से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

12. मैंने अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्युत विभाग के विद्वान नामिका अधिवक्ता तथा दोषसिद्ध के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का परिशीलन करने के उपरांत यह तथ्य परिलक्षित होता है कि वादी मुकदमा उपरोक्त द्वारा पुलिस थाना एन्टी पॉवर थेफ्ट, जिला पीलीभीत में घटना की तहरीर देकर अभियुक्ता उपरोक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।

13. अतः अभियुक्ता द्वारा की गयी अपराध की संस्वीकृति व अभियुक्ता के द्वारा किये गये कथन तथा अभियुक्ता की आर्थिक स्थिति तथा प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत मामले में अभियुक्ता नन्हीं देवी को आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा–138 (1) बी, विद्युत अधिनियम में दोषी पाते हुये अंतर्गत मु0 1,500/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**<u>आदेश</u>**

विशेष सत्र परीक्षण सं0–1443/2025 अंतर्गत धारा–138(1)बी विद्युत अधिनियम, पुलिस थाना एन्टी पॉवर थेफ्ट, जिला पीलीभीत में अभियुक्ता नन्हीं देवी उपरोक्त को मु० 1,500/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्ता को एक सप्ताह के कारावास की सजा भुगतना होगा।

दोषसिद्ध उपरोक्त द्वारा उक्त अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि न्यायालय में जमा की गयी। अतः उसे न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाये।

नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रेषित होने के कारण इस मुकदमे में कोई बकाया शेष नहीं रह जाता है, यदि इस प्रकरण के अलावा कोई बकाया शेष रहता है तो विद्युत विभाग वसूल कर सकता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

दिनाकः 30.06.2026

(शिखा प्रधान)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4,
पीलीभीत।

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनाकः 30.06.2026

(शिखा प्रधान)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4,
पीलीभीत।